सत्यमेव जयते

# दिल्ली विधान सभा
# Delhi Legislative Assembly

## नियम समिति
## RULES COMMITTEE

## द्वितीय प्रतिवेदन
## SECOND REPORT

दिनांक 17 सितम्बर, 2007 को प्रस्तुत
Presented on 17 September, 2007

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, विधान सभा भवन,
Delhi Legislative Assembly Secretariat, Vidhan Sabha Bhawan,
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
Old Secretariat, Delhi-110054

# समिति का गठन

| | | |
|---|---|---|
| 1. | चौ. प्रेम सिंह, माननीय अध्यक्ष<br>Ch. Prem Singh, Honble Speaker | सभापति<br>Chairman |
| 2. | डा० एस.सी. वत्स<br>Dr. S.C. Vats | सदस्य<br>Member |
| 3. | श्री ब्रह्मपाल<br>Sh. Brahm Pal | सदस्य<br>Member |
| 4. | श्रीमती अंजलि राय<br>Smt. Anjali Rai | सदस्य<br>Member |
| 5. | श्री नसीब सिंह<br>Sh. Naseeb Singh | सदस्य<br>Member |
| 6. | श्रीमती बरखा सिंह<br>Smt. Barkha Singh | सदस्य<br>Member |
| 7. | श्री धर्मदेव सोलंकी<br>Sh. Dharam Deo Solanki | सदस्य<br>Member |
| 8. | श्री करण सिंह तंवर<br>Sh. Karan Singh Tanwar | सदस्य<br>Member |
| 9. | श्री विजय जौली<br>Sh. Vijay Jolly | सदस्य<br>Member |

**सचिवालय**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री सिद्धार्थ राव<br>Sh. Siddharath Rao | सचिव<br>Secretary |
| 2. | श्री जी.एस. रावत<br>Sh. G.S. Rawat | संयुक्त सचिव<br>Joint Secretary |
| 3. | श्री जयभगवान शर्मा<br>Sh. Jai Bhagwan Sharma | अवर सचिव<br>Under Secretary |
| 4. | श्री लाल मणी<br>Sh. Lal Mani | अवर सचिव<br>Under Secretary |

# प्रस्तावना

मैं, चौ. प्रेम सिंह, सभापति, नियम समिति, समिति की ओर से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

नियमों में कुछ नये प्रावधान, संशोधन और रूपांतरण करने का प्रस्ताव करते समय समिति ने अन्य राज्य विधान सभाओं के साथ-साथ संसदीय स्तर पर प्रचलित प्रक्रियाओं, परिपाटियों और नियमों का भी अध्ययन किया। हालांकि यह कार्य निःसंदेह कठिन, श्रमसाध्य एवं चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ अत्यधिक महत्वपूर्ण भी था। इसलिए यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे पूर्ण संतोष और प्रसन्नता का एहसास हो रहा है।

भारत में संसद और विधान मंडलों के प्रक्रिया नियमों, स्थायी आदेशों की विषयवस्तु आमतौर पर समान प्रकृति की है। प्रत्येक विधान मंडल ने अपने यहां की मौजूदा परिस्थितियों और कार्य अनुभवों को मद्देनजर रखते हुए अपनी-अपनी नियमावलियों में कुछ नये प्रावधान और रूपांतरण किए हैं। नियमों में कई स्थानों पर कुछ छोटे और कुछ बड़े परिवर्तन, रूपांतरण और नये संशोधनों की सिफारिश की है। इन परिवर्तनों की सिफारिश करने के दौरान समिति के समक्ष विधान सभा के विगत नौ वर्षों के कार्यकाल का व्यावहारिक अनुभव, संसद और राज्य विधान मंडलों के कार्य तथा इनके अपने अनुभव, सामूहिक सोच एवं मौजूदा स्थानीय परिस्थितियों से भी मार्गदर्शक के रूप में सहायता मिली।

प्रतिवेदन पर विचार किया गया और इसे समिति द्वारा 11 सितम्बर, 2007 को सम्पन्न अपनी बैठक में स्वीकार किया गया। समिति ने श्रीमती अंजलि राय और उनकी अनुपस्थिति में श्री विजय जौली को अपनी ओर से सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

समिति के सभी सदस्यों ने इस कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

इस अवसर पर समिति बड़े हर्ष के साथ यह भी उल्लेख करना चाहती है कि प्रक्रिया नियमों में परिवर्तन, रूपान्तरण, अशुद्धियाँ ठीक करने और नये संशोधनों एवं प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने में विधान सभा सचिवालय के सभी अधिकारियों का अत्यन्त सराहनीय योगदान रहा।

**(चौ. प्रेम सिंह)**
सभापति, नियम समिति एवं
अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा

# प्रतिवेदन

नियम समिति की बैठक दिनांक 11 सितम्बर, 2007 को माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में सम्पन्न हुई।

विधान सभा सचिव ने समिति को बताया कि विधान सभा सचिवालय द्वारा पिछले कुछ समय से विधान सभा की 'प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम' पुस्तिका का गहन अध्ययन किया जा रहा था जिसमें मुद्रण से सम्बन्धित कुछ त्रुटियां पाई गईं। इनके अलावा कुछ अनुवाद सम्बन्धी त्रुटियां भी पाई गईं जिनका गहन अध्ययन किया गया है। इन त्रुटियों का विवरण इस प्रकार है :

| अध्याय-1 | | | |
|---|---|---|---|
| क्र.सं. | पेज नंबर | निम्न के स्थान पर | निम्न पढ़ा जाए/जोड़ा जाए |
| 14. | 2 (ठ) भाग | आरंभ होकर आगामी 31 मार्च | आरंभ होकर 31 मार्च |
| 15. | 3 (य) भाग | सभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ विधान सभा भवन के सब स्थान | विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ सब स्थान |
| अध्याय-2 | | | |
| 16. | 4 परिभाषाएं | घघ | (घघ) ''नेता प्रतिपक्ष'' - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के संबंध में 'प्रतिपक्ष के नेता' का तात्पर्य है, "विधान सभा का वह सदस्य जो, फिलहाल, सरकार के प्रतिपक्ष में उस दल का सदन में नेता हो, जिसका सर्वाधिक संख्या बल हो और उसको विधान सभा अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त हो।" |
| 17. | 5 पर 3 (2) | सदस्यों को तार द्वारा | सदस्यों को तार, दूरभाष एवं अन्य इलैक्ट्रोनिक माध्यमों द्वारा |
| 18. | 5(7) | अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, किसी मंत्री या | अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, किसी मंत्री या नेता प्रतिपक्ष पर लागू नहीं होगा। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | अध्याय-7 | |
| 19. | 20 पर 36 (2) | 20 से अधिक प्रश्न | 20 से अधिक तारांकित प्रश्न |
| | | अध्याय-10 | |
| 20. | 28 पर 61(1) | सत्र | बैठक |
| | | अध्याय-16 | |
| 21. | 80 पर 219 | अध्यक्ष एक विशेषाधिकार समिति मनोनीत करेंगे, जिसमें उपाध्यक्ष सहित कुल नौ सदस्य होंगे। उपाध्यक्ष इस समिति के सभापति होंगे। | अध्यक्ष एक 'विशेषाधिकार समिति' मनोनीत करेंगे जिसमें नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे। |
| 22. | 82 पर 225(1) | अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकतम नौ सदस्यों की एक 'प्रश्न एवं संदर्भ समिति' होगी और उपाध्यक्ष इस समिति पदेन सभापति होंगे। | अध्यक्ष एक 'प्रश्न एवं संदर्भ समिति' मनोनीत करेगे जिसमें अधिकतम नौ सदस्य होंगे। |
| 23. | 85 पर 230 (1) | एक पुस्तकालय समिति होगी जिसमें सभापति सहित नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे। अध्यक्ष समिति के पदेन सभापति होंगे। | अध्यक्ष एक 'पुस्तकालय समिति' मनोनीत करेंगे जिसमें नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे। |
| | | अध्याय-18 | |
| 24. | 94 पर 251(1) ख | कम-से-कम तीन घंटे पूर्व 11.00 बजे पूर्वाह्न तक सचिव के पास | कम-से-कम तीन घंटे पूर्व तक सचिव के पास |
| | | अध्याय-21 | |
| 25. | 103 पर 262 | जब कोई सदस्य बोलने के लिए खड़े हों तो अध्यक्ष उनका नाम पुकारेंगे | अध्यक्ष द्वारा सदस्य का नाम पुकारे जाने पर सदस्य बोलने के लिए खड़े होंगे। |
| 26. | 106 पर 269 (3) | चाहे उन्होंने विवाद में पहले भाषण किया हो | चाहे उन्होंने वाद-विवाद में पहले भाषण किया हो |

| Page No. | S.No./ Line | Word/Sentence | To be read as |
|---|---|---|---|
| 3 | (z) | Dupery Speaker's | Deputy Speaker's |
| 4 | | | "Leaderof Opposition" in relation to the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi means the member of Legislative Assembly who is, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | for the tme being "the leader in the House, of the party in opposition to the Government having the greatest numerical strength and recognized as such by the Speaker of the Legislative Assembly." |
| 5 | | | Leader of Opposition to be included |
| 5 | 3(2) | telegraphically | telephonically and through other electronic modes of communication |
| 20 | 36(2) | twenty questions | twenty starred questions |
| 80 | 219 | The Committee of Privileges consisting of nine members including the Deputy Speaker shall be nominated by the Speaker. The Deputy Speaker shall be the Chairman of the Committee. | The Committee of Privileges consisting of nine members. |
| 82 | 225(1) | There shall be a Question and Reference Committee consisting of not more than nine members to be nominated by the Speaker and the Deputy Speaker shall be the *ex-officio* Chairman of the committee. | There shall be a Question and Reference Committee consisting of not more than nine members to be nominated by the Speaker. |
| 85 | 230(1) | There shall be a Library Committee consisting of not more than nine members including its Chairman. The Speaker shall be the *ex-officio* Chairman of the Committee. | There shall be a Library Committee consisting of not more than nine members including its Chairman. |
| 94 | 251(ii) | By 11.00 hours of | three hours before |
| 103 | 262 | When a member rises, the Speaker shal call his name | Member shall speak when called by the Speaker. |

The committee unanimously decided to include the names of four Government Undertakings in the list under second schedule of Rule 197:

1. Delhi Transco Limited
2. Indraprastha Power Generation Company Limited
3. Delhi Power Company Limited.
4. Pragati Power Company Limited.

समिति ने इस बात पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की कि सचिवालय के अधिकारियों ने 'प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम' पुस्तिका का गहन अध्ययन करके उसमें छुपी मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धियों को उजागर किया। समिति ने सर्वसम्मति ये यह निर्णय लिया कि इन सब अशुद्धियों को सुधारते हुए पुस्तिका का पुनः प्रकाशन अनिवार्य है।

समिति ने श्रीमती अंजलि राय एवं उनकी अनुपस्थिति में श्री विजय जौली को 17 सितम्बर, 2007 को सदन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया।

**(चौ. प्रेम सिंह)**
सभापति, नियम समिति एवं
अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा

--------